लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

Preservation
Fumigated
On
Parliament Library

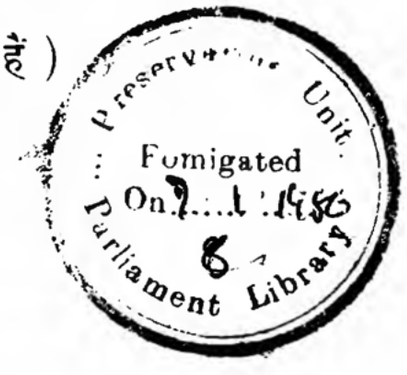

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	
अड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३६–३७
संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . .	१३७—४७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१३७—४७
खंड २, ३ और १	१४५–४६
पारित करने का प्रस्ताव	१४६
गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक	१४७–५९
विचार करने का प्रस्ताव .	१५९
खंड २ से ११ और १ . .	१५९
पारित करने का प्रस्ताव	
सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन	१६०—६८
वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित .	१६८
दैनिक संक्षेपिका	१६९—७३
अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८	१७५—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५९ और ६०	१९७—२००
अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६	२००—१३
पटल पर रखे गये पत्र	२१३–१६
विधेयकों पर राय	२१६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ बावनवां प्रतिवेदन .	२१६
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	२१६–१७
(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक	२१७
(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	२१७
दैनिक संक्षेपिका .	२५६—६१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	२१८—५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७

अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६	४७५—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४९५—९९
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४९९
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४९९—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१–०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७–८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८–८९
राज्य सभा से सन्देश	५९०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षपिका	७२५—३०

अंक १०——सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८९, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ . ७३१——५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१——५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८——८२

स्थगन प्रस्ताव——

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२–८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३–८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४–८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५——८८

प्राक्कलन समिति——

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन—— ७८८

वित्त विधेयक, १९६२——

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८——९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५——९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६–९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट——सामान्य चर्चा . ७९७——८०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८०६——१२

नोटः——मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अच्चमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सो० (श्री बिल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सोमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकौड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, (श्री बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

काशी राम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाड़ा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्ट कप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्त पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचररण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गनेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराज यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासार, श्री फतेहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुवेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रो नलाल (एटा)

चंदा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चाबड़, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री स० चु० (नाम निर्देशित-नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर—मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जोभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (बेसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंड़ेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देब, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)
नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)
नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)
नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नाम निर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम् (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टि कृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित-जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री (अम्बलपुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्र सिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मरीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षिण—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची–पूर्व)

मसुरिया दौन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांशकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

मानें, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)

मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)

मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० ध० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम, (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री तेनाली)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रहमान, श्री म० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजमुद्री)
राजेजन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारी बाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधारमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

रामशरण, श्री (मुरादाबाद)

रामा नन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र—(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगाल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकारावाद)
लच्छोराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीशा, श्री ना० (छिन्दवाडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व—(क्रमशः)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, जी, श्री (रायपुर)
वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)
वद कुमारी, मोते (एलरु)
वैरावन, श्री अ० (तंजौर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा रचरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

संजी रूप जी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)

संवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री विद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंग—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्य्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डॉ० (प० तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिवराम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारारण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री न० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसुंग सुइसा

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा--सभापति

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानी

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामी

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—**सभापति**

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य–सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह––**सभापति**

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर––**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ ब्रर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चन्द दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—**सभापति**

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभप्रद संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कांत भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्वरूप

श्री च० रा० नरसिंहन्

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दवे

डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहर-लाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री —डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वी० के० कृष्ण मेनन

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य–मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री ड० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री —डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

सोमवार, १२ मार्च, १९६२
२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा साढ़े बारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। श्री बलराज मधोक अनुपस्थित हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिवः** मैं १२ मार्च, १९६२ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

संसद् के सदस्यगण,

आपके सम्मुख इस संसद् में कुछ कहने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है।

लोक-सभा के सदस्यगण, इस सदन की आपकी सदस्यता की पंचवर्षीय अवधि अब समाप्त होने को है। शीघ्र ही आपके इस सत्र की समाप्ति के बाद नयी लोक-सभा की बैठक होगी। आप में से बहुतों को देश सेवा के लिये फिर से चुन लिया गया है। आप में से कुछ इस चुनाव तथा लोक-सभा की समाप्ति के बाद नयी लोक-सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और लोक-सभा के सदस्यों की हैसियत से आपके द्वारा की गयी सेवाओं के लिये देश की जनता

---

†मूल अंग्रेजी में

की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि यहां से जाने के बाद जहां भी आपका कार्यक्षेत्र हो, आप देश निर्माण के काम में लगे रहेंगे और अपनी योग्यता तथा अनुभव का सदा ही अपने देश की जनता के हितार्थ उपयोग करते रहेंगे।

संसद् के सदस्यगण, जब मैंने पिछली बार आपको सम्बोधित किया था, तब अपने अधिक व्यापक दृष्टिकोण तथा उच्चतर लक्ष्य के साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी। अब वह योजना चालू की जा चुकी है। पहली योजनाओं से प्राप्त अनुभव और उससे उत्पन्न हुए उत्साह और राष्ट्रनिर्माण के काम में योजनागत प्रयास के सम्बन्ध में अधिक देशव्यापी बोध और अधिमूल्यन—ये सब बातें इस योजना की सफलता की द्योतक हैं और हमें अपने निर्धारित उद्देश्य के निकट ले जाने वाली हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी समर्थ अर्थव्यवस्था की प्राप्ति है, जिसमें स्वावलम्बन, अभिवृद्धि और अधिक भावी विकास के साधनों को पैदा करने की क्षमता हो।

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास तथा केरल में बाढ़ों के द्वारा जो भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद १९६१–६२ में होने वाली खेती की पैदावार उत्साहवर्धक है। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती की उन्नति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

हमारा उद्देश्य केवल अनाज में आत्मनिर्भर होना ही नहीं है, बल्कि निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा संग्रह करने तथा बढ़ते हुए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिये व्यापारी पैदावार को बढ़ाना भी है।

१९६०–६१ में खेती उत्पादन का इन्डैक्स नम्बर १३९.१ हो गया है जब कि १९५९–६० में वह १२८.७ था। इस तरह इसमें ८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि मे दोनों फसलों का अनाज तथा व्यापारी हिस्सा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष १९५५–५६ था और उस वर्ष के इन्डैक्स की तुलना में १९६०–६१ उत्पादन की इन्डैक्स १९.१ प्रतिशत अधिक है।

भूमि के संरक्षण सम्बन्धी उपायों और सूखी खेती के साधनों को अपनाने के फलस्वरूप तीन करोड़ तीस लाख एकड़ भूमि में सुधार होगा। सिंचाई की छोटी योजनाओं से एक करोड़ अठाईस लाख एकड़ भूमि तीसरी योजना में खेती के योग्य बन सकेगी। मेरी सरकार ने एक उन्नत बीज निगम स्थापित करने का निश्चय किया है, जो अधिक उत्पादन देने वाले और बीमारी का प्रतिरोध करने वाले बीजों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था करेगा। बनावटी खाद की मांग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है। इसलिए बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिये खाद के कई और कारखाने खोले जा रहे हैं। खाद के स्थानीय साधनों और हरी खाद के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सात राज्यों के चुने हुए जिलों में भरपूर खेती का कार्यक्रम चालू किया गया है। इस वर्ष सभी राज्यों में फसल उत्पादन आन्दोलन शुरू किये गये हैं, जिनके साथ पंचायतों, सहकारी समितियों और दूसरी ग्रामीण संस्थाओं का गहरा सम्बन्ध है। चार नये कृषि कालेज, दो पशु चिकित्सा कालेज और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी तीसरी योजना में शामिल है।

उत्पादन और योजनाओं की विभिन्नता की दृष्टि से औद्योगिक पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। लोहे और इस्पात, मशीनरी, बिजली के सामान और बनावटी खाद की पैदावार में पिछले वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हमे आशा है कि १९६१–६२ में लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगी।

फिर भी आत्मसन्तोष और प्रयत्नों की ढिलाई के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी बहुत सी मुश्किलें और कठिनाइयां हैं, जैसे यातायात और कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में। निःसंदेह तीव्र आर्थिक विकास ही इन कठिनाइयों का कारण है।

योजना में दिये गये कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिये दृढ़ प्रयत्न जरूरी हैं और यह तभी हो सकता है यदि हम मितव्ययता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखें और समय तथा प्राथमिकता की सूची का भी खयाल रखें। ये सब बातें मेरी सरकार के ध्यान में हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों पर पार पा सकते हैं।

मेरी सरकार ने भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर में लोहे के कारखानों के विस्तार तथा बोकारो में कच्चा लोहा और इस्पात का मिला जुला कारखाना और दुर्गापुर मे मिश्रित इस्पात का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा कर हमने नौ करोड़ सत्तर लाख टन किया है, जिसे प्राप्त करने के लिये हमें इस उद्योग का योजनाबद्ध विकास करना है। सार्वजनिक खंड में अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और रूस की सहायता से बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है। कोयले के उत्पादन में निजी खंड अपनी विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिये विश्वबैंक द्वारा दिये गये साढ़े तीन करोड़ डालर के ऋण को उपयोग में ला सकेगा।

नेवेली में पिछले वर्ष के अगस्त महीने में लिगनाइट की परतें दिखाई पड़ी थीं। लिगनाइट के प्रयोग से चलने वाला पहला बिजली का कारखाना आशा है शीघ्र ही काम करने लगेगा।

गुजरात में अंकलेश्वर में तैल के उत्तम और लाभदायक साधन प्राप्त हुए हैं। नूनमाटी में तैल शोधक कारखाना इस वर्ष जनवरी में चालू हो गया था। इसके अतिरिक्त २० लाख टन क्षमता का ऐसा ही कारखाना गुजरात में स्थापित करने की योजना है।

आयात में कमी और निर्यात में कुछ वृद्धि के कारण गत बारह महीनों की अपेक्षा हम अपने व्यापार सम्बन्धी घाटे को ३६४ करोड़ से घटा कर २१८ करोड़ कर सके हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपने सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप मेरी सरकार निर्यात वस्तुओं की सूची में नयी चीजें जोड़ सकी है और नयी मंडियां ढूंढ़ सकी है। निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने कुछ नये प्रोत्साहन भी दिये हैं। यद्यपि गत वर्ष निर्यात व्यापार से वृद्धि केवल ३४ करोड़ रुपये की ही हुई है, इस बात से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमारे व्यापार संतुलन का रुख अब अनुकूल है।

औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार के लिये १९५८ में ऐच्छिक आधार पर जो अनुशासन नियमावली बनायी गयी थी उसका अधिकाधिक पालन किया जा रहा हैं, और इससे बहुत से ऐसे झगड़ों का निपटारा किया जा सका जो अन्यथा किसी एक पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही का कारण बन सकते थे। ऐच्छिक आधार पर औद्योगिक कारखानों में जो सम्मिलित प्रबन्ध समितियां स्थापित की गई थीं उनके काम से यह प्रमाणित होता है कि पूर्ण विचार विमर्श से औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार और उत्पादन में वृद्धि होती है।

प्रगतिशील खेती और ग्राम सुधार के लिये पंचायतीराज और सहकारिता की उन्नति और विकास अत्यन्त आवश्यक हैं। इस दिशा में मेरी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप आठ राज्यों में ग्राम स्वशासन का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और अनुमान है कि देश की ६५ प्रतिशत जनसंख्या इस सुधार के अन्तर्गत आ गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेरी सरकार ने ६ से ११ साल तक की उम्र के सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है। यह संख्या देश के कुल स्कूल जाने वाले लड़कों का ९० प्रतिशत और लड़कियों का ६२ प्रतिशत है और ६—११ आयु के कुल बच्चों की संख्या का ७६ प्रतिशत है। स्कूल में बच्चों की हाजरी को अनिवार्य बनाने के लिये राज्यों की सरकारों को विधान स्वीकृत करने का सुझाव दिया जायेगा।

तिरुपति में केन्द्रीय संस्कृत परिषद् से आशा है आगामी वर्षों में संस्कृत के अध्ययन का विस्तार होगा। यह परिषद् संस्कृत साहित्य सम्बन्धी विशेष विषयों मे अनुसन्धान भी करेगी।

इंजीनियरिंग और टेकनोलोजी के क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग बराबर बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिये मौजूदा संस्थाओं का विस्तार और देश के विभिन्न भागों में नयी संस्थाओं का स्थापन किया जायगा।

गरीब, किन्तु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता के लिये बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

छूत की बीमारियों के उन्मूलन के लिये आवश्यक कदम उठाने को प्राथमिकता देना मेरी सरकार की नीति है। इसके परिणामस्वरूप मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो चुका है और क्षय रोग तथा गुप्तेन्द्रिय रोगों पर व्यापक नियंत्रण किया जा सका है। देश भर से चेचक के उन्मूलन के कार्यक्रम को भी मेरी सरकार ने हाल ही में चालू किया है।

अभी तक हमारे अधिकांश ग्रामों में पीने के शुद्ध पानी की जो कमी है, उसे दूर करने के लिये स्वीकृत ग्रामीण योजनाओं का ५० प्रतिशत तक अनुदान के रूप में और शहरी इलाके में १०० प्रतिशत तक ऋण के रूप में सरकारी सहायता के तौर पर दिये जायेंगे।

सिंचाई की व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नर्मदा योजना द्वारा, जो ४३ करोड़ रुपये की है और जिसका उद्घाटन अप्रैल १९६१ में किया गया था, १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उससे ५ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

राजस्थान नहर व्यवस्था की पहली नहर का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति ने गत अक्तूबर में किया था। जब यह नहर पूर्ण हो जायगी और प्रयोग में आने लगेगी, इसके द्वारा राजस्थान की मरुभूमि भारत के सबसे बड़े धान्यागार में परिवर्तित हो जायगी।

मालदा होकर सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन के निर्माण से कलकत्ता और उत्तरी बंगाल में फिर से रेल का सम्बन्ध स्थापित हो गया है, जो विभाजन के कारण टूट गया था। पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में चालू ७०० किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हो गया है।

गत वर्ष दो महत्वपूर्ण शताब्दियां राष्ट्रीय पैमाने पर मनाई गईं। टैगोर शताब्दी के सम्बन्ध में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी में विश्व भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। सभी राज्यों की राजधानियों में टैगोर रंगमंच की स्थापना इस शताब्दी कार्यक्रम का अंग है।

भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी अपनी शताब्दी मनाई और उसके द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई पुरातत्व सम्मेलन ने संसार के विभिन्न भागों से विद्वानों को आकृष्ट किया। दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी ने हमारी सभ्यता के अटूट ऐतिहासिक क्रम को लोगों के सामने चित्रित किया और हमारे अतीत को खण्डहरों और जीर्ण अवशेषों की कहानी न बता कर उसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के स्रोत का रूप दिया।

चीन के साथ भारत के उलझे हुए सम्बन्ध अभी तक सुलझे नहीं हैं। अधिकारियों की रिपोर्ट, जो मेरी सरकार ने १९६१ में संसद् के सामने रखी थी, अभी तक चीन में प्रकाशित नहीं हुई है।

१९५४ की हिन्द-तिब्बती संधि की अवधि २ जून १९६५ को समाप्त होती है। चीनी लोकतन्त्र सरकार ने इस सन्धि के स्थान में नई सन्धि के लिये बातचीत का सुझाव भेजा है। इसके उत्तर के रूप में मेरी सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पड़ोसी अपनी आक्रमणात्मक नीतियों को छोड़ दें जिससे कि पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर शान्ति का वातावरण फिर से स्थापित किया जा सके।

जैसा कि संसद् को विदित है, कांगो में संकट के समय, मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों की सहायता के लिये पर्याप्त सैनिक दल भेजने का निश्चय किया था, यद्यपि ऐसा करना हमारे लिये भार-स्वरूप था और अभी भी है। हमारे सैनिकों और अफसरों ने उल्लेखनीय वीरता, अनुशासन, संयम और सब से बढ़ कर सद्भावना का परिचय दिया है। संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि सभी देशों के नागरिकों ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। निजी आवश्यकताओं की दृष्टि से हम इन सैनिकों को घर वापस बुलाना चाहेंगे, किन्तु मेरी सरकार महसूस करती है कि वे आवश्यक काम जिनके लिये भारतीय सैनिक बाहर भेजे गये थे अभी अधूरे रहते हैं और इसलिये जो सहायता हमने दी है उसे जारी रखना मेरी सरकार ने मंजूर किया है, यद्यपि हमारे जवानों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। जो लोग बहुत समय से अफ्रीका में हैं उनकी बदली के लिये मेरी सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं। मेरी सरकार को इस बात से भी सन्तोष हुआ है कि इस मामले में पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र में सहयोग के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

मेरी सरकार के लिये यह भारी सन्तोष और सुख का विषय है कि अल्जीरिया में स्वाधीनता के आधार पर समझौते की ओर कदम उठाये गये हैं। हिंसा के कारण वहां जान का भारी नुकसान हो रहा है और उससे मेरी सरकार को बहुत क्षोभ हुआ है और इसलिये वह अल्जीरिया और दि-गौल के पारस्परिक प्रयत्नों के सफल परिणाम की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। मेरी सरकार बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि शान्तिपूर्ण समझौते का एकमात्र आधार अल्जीरियन लोगों की स्वाधीनता है और स्थायी शांति अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा ही स्थापित हो सकती है।

भारत को १८-राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति का सदस्य चुना गया है। जिन नीतियों का इस समझौते में अनुसरण किया जायेगा, और इस दिशा में हमने अभी तक जो योगदान दिया है उससे परिस्थितियों के सुलझने में सहायता मिलेगी, एक शान्तिपूर्ण देश के रूप में और संसार में शान्ति के लिये उत्सुक क्षेत्रों में विस्तार में, सम्भव है, हम इस समझौते में भाग लेकर शान्तिपूर्ण समझौते और पारस्परिक मेल-मिलाप की भावना को बढ़ावा दे सकें, इस आशा से मेरी सरकार ने इस कठिन दायित्व को स्वीकार किया है। इस बीच में मेरी सरकार सभी दिशाओं में संसार भर में तनाव की भावना को कम करने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी। मेरी सरकार सरकार को आशा है कि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी बातचीत, कठिनाइयों के बावजूद, हमें युद्ध-विहीन विश्व की ओर ले जायगी, जो हमारा ध्येय और नीति है।

जनीवा में होने वाले लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग में मेरी सरकार बराबर भाग ले रही है। हम बराबर इस नीति को अपनाते रहे हैं कि लाओस की समस्या को राष्ट्रीय स्वाधीनता और वहां के लोगों तथा सरकार को सभी सम्बद्ध राष्ट्रों द्वारा आश्वस्त तटस्थता की नीति का अवलम्बन करने की पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर

सुलझाया जा सकता है। यद्यपि यह समस्या अभी हल करनी रहती है, इस बात के लक्षण दिखाई देते हैं कि सुविख्यात राजनीतिज्ञ राजकुमार सुवन्नफूम के प्रधानमन्त्रित्व में इन सिद्धान्तों के आधार पर लाओस सरकार का निर्माण किया जा सकेगा। शान्ति के हित में हम वियेतनाम और कम्बोडिया के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण आयोग में बराबर भाग ले रहे हैं।

मेरी सरकार गाजा में संयुक्त राष्ट्रीय आपत्कालिक सैन्य दल में भी भाग ले रही है। इस दल में एक भारतीय टुकड़ी भी शामिल है।

स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में हम कई एक अफ्रीकी देशों का स्वागत करते हैं, जिनमें भूतपूर्व फ्रैंच कलोनियल अफ्रीका के बहुत से राज्य, भूतपूर्व अंग्रेजी भूभाग सीराल्योन और ब्रिटिश शासनाधिकार में भूतपूर्व मैंडेटेड टेरेटरी टांगानीका शामिल हैं।

हमने सीरिया, सैनिगल और टांगानीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं और कुवैत तथा उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ, जिनके प्रतिनिधि हमारे देश का दौरा कर चुके हैं, व्यापार सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हम पश्चिमी सामोआ के उदय का स्वागत करते हैं।

अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने सोवियत संघ के साथ सन्धि की है।

सोवयत संघ के राष्ट्रपति, मलाया के सम्राट् और सम्राज्ञी, नेपाल के सम्राट् महेन्द्र, अर्जनटाइना के राष्ट्रपति फ्रोंडिजी, पोलैंड के राष्ट्रपति जवादस्की, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, डेन्मार्क, हंगरी, जापान, ट्रिनीदाद और बर्मा के प्रधान मन्त्रियों ने भारत की यात्रा की और हमारे प्रधान मन्त्री के साथ पारस्परिक हितों के विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में बातचीत की। फ्रांस के परराष्ट्र मन्त्री और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सेक्रेटरी आफ स्टेट भी भारत आये और उन्होंने हमारे प्रधान मन्त्री से बातचीत की।

हिन्द-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दिये हैं। हमने पाकिस्तान सरकार के साथ "युद्ध नहीं" सन्धि पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दोहराया। हाल में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् से कश्मीर के प्रश्न पर विवाद करने के लिये प्रार्थना की, यद्यपि उन्होंने अपनी सेनाओं को हटा लेने और युद्ध-बन्दी रेखा के दूसरी तरफ हिंसात्मक गतिविधि बन्द करने और कश्मीर के अन्दर शान्ति-विरोधी शक्तियों की सहायता न करने सम्बन्धी उन समझौतों पर जो उन्होंने हमारे साथ तथा संयुक्तराष्ट्र के साथ किये थे किसी भी प्रकार न अमल किया है और न उनके प्रति कोई आदर दर्शाया है। किन्तु सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान की प्रार्थना पर विचार स्थगित रखा है।

जैसा कि संसद् जानती है, १४ वर्षों तक धैर्यपूर्ण बातचीत और प्रतीक्षा के बाद, हमारे देश की भूमि पर स्थापित पुर्तगाली उपनिवेशवाद की समस्या को सुलझाने का पुर्तगाल के मित्रों को पूर्ण अवसर दे चुकने के बाद, भारत सरकार को शान्ति के हित में, भारत की एकता के हित में और देश में अरोध्य जनमत के अनुसार देश की भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिये, कार्यवाही करनी पड़ी। पुर्तगाल द्वारा नग्न हिंसा जिसमें हमारे व्यापारी बेड़े पर गोली चलाना, हमारे देशवासियों की हत्या करना और हमारी भूमि पर आक्रमण करना भी शामिल है, इन कार्यवाहियों के कारण यह समस्या भड़क उठी। यद्यपि कुछ देशों ने भ्रान्तिपूर्ण आलोचना की है, फिर भी संसार के अन्य राष्ट्रों ने हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की है, और निश्चय ही सब देशों की जनसंख्या ने पुर्तगाली उपनिवेशवाद का संसार के कम से कम एक भाग में अन्त का स्वागत किया है।

आप सब संसद् सदस्यों के समान ही मुझे भी इस बात की खुशी है कि गोआ-सम्बन्धी कार्यवाही लगभग रक्तपात के बिना, और जहां तक वहां की गैरसैनिक जनसंख्या का सम्बन्ध है, जिसमें हमारे देशवासी और अन्य लोग भी शामिल हैं, पूर्णरूप से हिंसा के बिना, की जा सकी। गोआ पर सिविल कानून के अन्तर्गत मिलिट्री गवर्नर का शासन है और भारतीय संघ के अविभाज्य अंग के रूप में उन भूभागों की स्थिति को वैधानिक रूप देनेके लिये संसद् के इस सत्र के सामने एक विधेयक रखा जायेगा हमने गोआ की जनता और संसार को बार बार आश्वासन दिया है कि ऐतिहासिक कारणों से जो विशेषता इस प्रदेश को प्राप्त है, उसका हमारे संविधान के मौलिक तत्वों की सीमा में सदा आदर किया जाएगा और जो भी परिवर्तन हो वह रचनात्मक तथा निर्विघ्न होगा। पहले के पुर्तगाली उपनिवेश के लोगों को हमारे संविधान के आधारभूत अधिकारों और मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार संरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार इस विषय पर इसी संसद् के इसी सत्र में एक विधेयक पेश करना चाहती है।

मेरी सरकार ने भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सत्रह करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया है। स्वयं भूटान की सरकार के तथा सीमा-सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात को सबसे प्रमुख स्थान मिल रहा है। आशा की जाती है कि इस वर्ष भूटान में मोटर यातायात स्थापित करना सम्भव होगा। मेरी सरकार को इस बात से खुशी है कि इन सभी विकास कार्यों में भूटान की सरकार ने पहल की है जिसमें मेरी सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

आर्थिक चालू वर्ष १९६२–६३ के लिये भारत सरकार का अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा इस वर्ष के एक भाग के व्यय का अधिकार देने के लिए आपके सामने पेश किया जायेगा।

संसद् का यह अधिवेशन बहुत ही छोटा होगा और इसलिये केवल आवश्यक विधान ही इस सत्र में हाथ में लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो पिछले सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद् के सामने रक्खे जायेंगे।

आम चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। संसद् के सदस्यगण, मैं भी आपकी खुशी में अपनी प्रसन्नता की यह ध्वनि मिलाना चाहूंगा कि इतना बड़ा मताधिकार शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित और हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार सम्पन्न हुआ है। हमने अपने लिये एक उदाहरण स्थापित किया है और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली में संसार की आस्था को बढ़ाया है।

चुनाव के परिणामस्वरूप मेरी सरकार को अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीतियों के प्रति विशेष विश्वास प्राप्त हुआ है और इस बात का उसे फिर से अधिकृत आदेश मिला है कि दूर गांवों में भी आम चुनावों के आधार पर जनतन्त्रात्मक पद्धति के द्वारा लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिये फिर से वह कठिन अध्यवसाय के साथ और तेजी से प्रयत्नशील हो ताकि लोकतन्त्र एक वास्तविकता बन जाय। राष्ट्रीय एकता और तटस्थ नीति द्वारा विश्वशान्ति शान्तिपूर्ण तरीकों से समस्याओं का निराकरण, तनाव कम करने और समझौते द्वारा समस्याओं को हल करने की नीतियों का राष्ट्र ने पुनः समर्थन किया है। यह पुनर्विश्वास और आस्था जो लोगों ने मेरी सरकार के प्रति और उसकी आन्तरिक तथा विदेश नीति के प्रति, जिसे अनेक बार संसद् का समर्थन प्राप्त हो चुका है और चुनाव से पहले जिसको देशव्यापी विवेचन हो चुका है, सरकार की नीतियों को सुदृढ़ बनाती है और इसके द्वारा मेरी सरकार पर राष्ट्रीय आदेश के रूप में यह दायित्व आता है कि वह दृढ़ता से इन नीतियों को कार्यान्वित करे।

संसद् के सदस्यगण, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आप में से जो लोग पुनः संसद् सदस्य के रूप में यहां नहीं आयेंगे, वे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य में

लगे रहेंगे। यह कार्य हमारे जनतन्त्र की प्रगति, समाजवादी समाज के निर्माण तथा संसार में शान्ति की स्थापना के लिये बहुत आवश्यक है। आपमें से जिन्हें इन वैधानिक प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिए जनमत का आदेश मिल गया है, वे अपने कठिन किन्तु रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण के फलदायी प्रयास को जारी रखने के लिये उन्हीं के साथ शामिल हो जायेंगे जो पहली बार संसद् में आ रहे हैं।

थोड़े ही समय बाद एक नई संसद् का उद्घाटन होगा और पूर्व वर्षों की तरह ही किन्तु नवीन उत्साह और नवोदित शक्ति के साथ आप तथा वे सभी हमारे संविधान के मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना और उन्हें अधिकाधिक कार्यरूप देने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

वे मौलिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता;

सभी नागरिकों के बीच भ्रातृभाव को प्रोत्साहन जिसके द्वारा

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित हो।

ये सिद्धान्त अपने पूर्ण अर्थों समेत हाल के शिक्षाप्रद और महान् चुनावों के समय मेरी सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के सामने रख दिये गये थे।

आप जहां कहीं भी हों, मैं आपकी सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं ८ दिसम्बर, १९६१ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत अधिवेशन में पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

(१) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१

(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१

(४) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१

मैं ८ दिसम्बर, १९६१ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत अधिवेशन में पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त तथा राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित विधेयकों की प्रतियां भी पटल पर रखता हूं :—

(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक, १९६१

(२) काफी (संशोधन) विधेयक, १९६१

(३) असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१

†मूल अंग्रेजी में

(४) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१ .

(५) शिक्षु विधेयक, १९६१ .

(६) प्रसूति लाभ विधेयक, १९६१ . . .

(७) चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक, १९६१ .

(८) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक, १९६१ .

(९) प्रोद्योगिकी संस्थायें विधेयक, १९६१ . .

(१०) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१ . . .

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१ . .

(१२) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तृतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सभा पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी ३४५२/६२)**

पंजाब आयोग का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं भारत सरकार द्वारा श्री एस० आर० दास की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये पंजाब आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी ३४५३/६२]**

भारतीय तार अधिनियम १८८५ के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : मैं भारतीय तार विधेयक, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की एस० ओ० संख्या ४९२।

(दो) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या ३०२०।

(तीन) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३७।

(चार) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ११७।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५४/६२]

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत दूसरी लोक-सभा के पन्द्रहवें अधिवेशन की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(एक) अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या १)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५५/६२]

(दो) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या २)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५६/६२]

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम १९५४ के अधीन अधिसूचनायें

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम १९५४, की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ५(१४) एम पी एच/५९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५७/६२]

(दो) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५८/६२]

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४५९/५२]

संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट विनियमन १९५८, अन्तराज्यीय निगम अधिनियम १९५७, अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ तथा दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) किरायेदार सहायता अधिनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): मैं संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४६१ ।

(ख) दिनांक ३ जून, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७३१ ।

(ग) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०४७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४६२/६२]

अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६० में प्रकाशित और दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१७ द्वारा संशोधित हैदराबाद नर्सें, दाइयां और स्वास्थ्य परिदर्शक परिषद्, (पुनर्रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३४६१/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६१ में प्रकाशित बम्बई राज्य दन्त-चिकित्सा परिषद् (पुनर्रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६२/६२]

अखिल भारतीय सेवायें, अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७ में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १० में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६३/६२]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९/२१/६०—दिल्ली की एक प्रति जिसमें दिल्ली नगर निगम (कौंसिलरों का निर्वाचन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६४/६२]

दिल्ली (नगरी क्षेत्र) किरायेदार सहायता अधिनियम, १९६१ की धारा ८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दनांक ४ दिसम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३—ए/एल आर ओ/६१ की एक प्रति, जिस में दिल्ली (नगर क्षेत्र) किरायेदार सहायता नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६५/६२]

नारियल जटा अधिनियम १९५३ के अधीन प्रतिवेदन, प्रशुल्क आयोग १९५१ के अधीन पत्र, जम्मू तथा काश्मीर राज्य के औद्योगिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन और नमक उपकर अधिनियम १९५३ के अधीन अधिसूचनायें

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६०—६१ के लिये नारियल-जटा बोर्ड के कार्यों और नारियल-जटा उद्योग एक्ट, १९५३ के संचालन पर वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी ३४६६/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६१ तक की अवधि के लिये नारियल-जटा बोर्ड के कार्यों और नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन पर छमाही प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६७/६२]**

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) सोडा एश उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) के सोडा एश के विक्रय मूल्यों से सम्बन्धित पैरा १५, १६, १८(X) से १८ (XII) ।

(ख) दिनांक ५ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी एच (१)–६(९)/६१ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६८/६२]**

(ग) कैल्शियम कार्बाईड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) के कैल्शियम कारबाईड के मूल्यों के सम्बन्धित पैरा १५, १६, १७.१० और १७.११ ।

(घ) दिनांक ५ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी एच (१)–३(२)/६१ ।

(ङ) उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों की प्रतियां क्यों नहीं रखी जा सकीं इसके कारण बताने वाला वक्तव्य । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४६९/६२]**

(१४) जम्मू और काश्मीर राज्य के औद्योगिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७०/६२]**

नमक उप-कर अधिनियम, १९५३ की धारा ६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७ में प्रकाशित लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माताओं को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी ३४७१/६२]**

सालारजंग संग्रहालय अधिनियम १९६१

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३२ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । एल० टी० ३४७२/६२]**

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५६ ।
(ख) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५७ ।
(ग) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५१३ ।

(ङ) दिनांक २० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७३/६२]

(१८) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को कुछ गन्ने के फार्मों पर लागू करने वाली दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७४/६२]

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (पशु कल्याण बोर्ड के लिये सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पशुओं के प्रति निदर्यता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०१५ में प्रकाशित पशुओं के प्रति निदर्यता निवारण (पशु कल्याण बोर्ड के लिये सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७५/६२]**

रेलवे दुर्घटना क्षतिपूर्ति नियम १९५०

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं (२०) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२ जे की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रेलवे दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, १९५० (आज तक संशोधित रूप में) की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७६/६२]**

चावल कूटना उद्योग (विनियम और लाइसेंस देना) संशोधन नियम १९६१, चीनी (उत्पादन का विनियमन) नियम, १९६२ और चीनी (उत्पादन का विनियम) संशोधन नियम, १९६२

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : मैं चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ को उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७७/६२]**

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अधिनियम, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२ में प्रकाशित चीनी (उत्पादन का विनियमन) नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक १४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१८ में प्रकाशित चीनी (उत्पादन का विनियमन) संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७८/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

जून १९६० और जुलाई १९६१ के बीच हुए उपनिर्वाचनों के परिणामों का प्रतिवेदन और निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, १९६२

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं श्री हजरनवीस की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) जून १९६० और जुलाई १९६१ के बीच हुए उपनिर्वाचनों के परिणामों का प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४७९/६२]**

(दो) लोक प्रतिनिधित्व, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५९७ में प्रकाशित निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, १९६२ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४८०/६२]**

सरकारी बचत प्रमाण पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ और डाकघर बचत प्रमाण पत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं सरकारी बचत, प्रमाण पत्र अधिनियम १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति पटल पर रखती हूं ।

(एक) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(दो) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४८१/६२]**

कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, १९६१

श्री आबिद अली : मैं (२५) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४८२/६२]**

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है :

(१) श्री हूवर हाइनीटा	२४-१०-१९६१
(२) श्री सादत अली खां	२३-१२-१९६१
(३) श्री रणवीर सिंह चौधरी	१०-३-१९६२

संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत अपेक्षित गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं :

अध्यादेश के बारे में विवरण

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ७१(१) के अन्तर्गत अपेक्षित अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १२ मार्च, १९६२

२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

विषय . पृष्ठ

राष्ट्रपति का अभिभाषण--सभा पटल पर रखा गया . . . १—८

सचिव ने १२ मार्च, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

(१) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १९६१

(३) भारतीय प्रशुल्क (विधेयक १९६१

(४) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१

(५) जमा धन बीमा निगम विधेयक, १९६१

(६) कॉफी (संशोधन) विधेयक, १९६१

(७) असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक, १९६१

(८) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६१

(९) शिशिक्षु विधेयक, १९६१

(१०) प्रसूति लाभ विधेयक १९६१

(११) चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक, १९६१

(१२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक, १९६१

(१३) प्रोद्योगिक संस्थायें विधेयक, १९६१

(१४) विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, १९६१

(१५) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६१

(१६) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ९—१५

(१) संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत तृतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित।

(२) भारत सरकार द्वारा श्री एस० आर० दास की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये पंजाब आयोग का प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(३) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की एस० ओ० संख्या ४९२ ।

(दो) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या ३०२० ।

(तीन) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३७ ।

(चार) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ११७ ।

(४) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धो के अन्तर्गत दूसरी लोक-सभा के पन्द्रहवें सत्र की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या १)

(दो) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या २)

(५) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ५(१४) एम पी एच/५९ ।

(दो) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(६) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की वर्ष १९६०-६१ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(७) संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छट) विनियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४६१ ।

(ख) दिनांक ३ जून, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७३१ ।

(ग) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०४७ ।

(८) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६० में प्रकाशित और दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की

विषय पृष्ठ

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१७ द्वारा संशोधित हैदराबाद नर्सें, दाइयां और स्वास्थ्य परिदर्शक परिषद् (पुनर्रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

(ख) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६१ में प्रकाशित बम्बई राज्य दन्त-चिकित्सा परिषद् (पुनर्रचना और पुनर्गठन) आदेश, १९६१ ।

(९) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७ में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६१ ।

(घ) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १० में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ङ) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परीविक्षा) संशोधन नियम, १९६२ ।

(१०) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३ जनवरी, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९/२१/६०—दिल्ली की एक प्रति, जिसमें दिल्ली नगर निगम (कौंसिलरों का निर्वाचन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(११) दिल्ली (नगरी क्षेत्र) किरायेदार सहायता अधिनियम, १९६१ की धारा ८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३-ए/एल आर ओ/६१ की एक प्रति, जिसमें दिल्ली (नगर क्षेत्र) किरायेदार सहायता नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

(१२) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९६०-६१ के लिये नारियल-जटा बोर्ड के कार्यों और नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन पर वार्षिक रिपोर्ट ।

विषय पृष्ठ

(ख) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६१ तक की अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्यों और नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन पर छमाही प्रतिवेदन ।

(१३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) सोडा एश उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) के सोडा एश के विक्रय मूल्यों से सम्बन्धित पैरा १५, १६, १८(१०) से १८(१२) ।

(ख) दिनांक ५ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी एच (१)–६(९)/६१ ।

(ग) कैलशियम कार्बाइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) के कैलशियम कार्बाइड के मूल्यों के सम्बन्धित पैरा १५, १६, १७.१० और १७.११ ।

(घ) दिनांक ५ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या सी० एच (१)–३(२)/६१ ।

(ङ) उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों की प्रतियां क्यों नहीं रखी जा सकीं इसके कारण बताने वाला वक्तव्य ।

(१४) जम्मू और काश्मीर राज्य के औद्योगिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(१५) नमक उप-कर अधिनियम, १९५३ की धारा ६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७ में प्रकाशित लाइसेंस प्राप्त नमक निर्माताओं को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(१६) सालारजग संग्रहालय अधिनियम, १९६१ की धारा २ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३२ में प्रकाशित सालारजंग संग्रहालय नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(१७) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और सशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५६ ।

(ख) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५७ ।

(ग) दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४५९ ।

(घ) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५१३ ।

(ङ) दिनांक २० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९८ ।

विषय पृष्ठ

(१८) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को कुछ गन्ने के फार्मों पर लागू करने वाली दिनांक ९ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५८ की एक प्रति ।

(१९) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०१५ में प्रकाशित पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (पशु कल्याण बोर्ड के लिये सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२०) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२ जे की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रेलवे दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, १९५० (आज तक संशोधित रूप में) की एक प्रति ।

(२१) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२२) चीनी (उत्पादन का विनियमन) अधिनियम, १९६१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक १५ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२ में प्रकाशित चीनी (उत्पादन का विनियमन) नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक १४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २१८ में प्रकाशित चीनी (उत्पादन का विनियमन) सशोधन नियम, १९६२ ।

(२३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) जून १९६० और जुलाई १९६१ के बीच हुए उपनिर्वाचनों के परिणामों का प्रतिवेदन ।

(दो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५९७ में प्रकाशित निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(२४) सरकारी, बचत, प्रमाण पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

विषय पृष्ठ

(दो) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५५ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(२५) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

(२६) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ७१ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण ।

(२७) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ७१ (१) के अन्तर्गत अपेक्षित अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, १९३२ द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण ।

सदस्यों के त्यागपत्र १४

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को यह बताया कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक-सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है :

(१) श्री हिनिटा

(२) श्री सादत अली खां

(३) चौ० रणवीर सिंह

विधेयक पुरःस्थापित . . १४–१५

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक, १९६२ ।

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

मंगलवार, १३ मार्च १९६२/२२ फाल्गुन १८८३ (शक) के लिये कार्यावली

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उनका पारित किया जाना :

(१) राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ।

(२) गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक ।

(३) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक ।

GIPND—LS III—1859 (Ai) LSD—28-3-62—125.